रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 617] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015 /CHAITRA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

का.आ. 811(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 11 को उसके उपपैरा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपपैरा के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2) जहां किसी विधिक कार्यवाही में या सरकार द्वारा विधि के अनुसार कोयला ब्लॉक का आबंटन रद्द कर दिया जाता है, ऐसे कोयला ब्लॉक के संबंध में मंजूर की गई पर्यावरणीय अनापत्ति, किसी विधिक व्यक्ति को जिसे ऐसे ब्लॉक का तत्पश्चात् आबंटन किया जाता है, उसी वैधता अवधि के अधीन जो आरंभ में मंजूर की गई थी, अंतरित की जा सकेगी और ऐसे मामले में या तो पर्यावरण अनापत्ति के धारक से या संबंधित विनियामक प्राधिकारी से "निरापेक्ष" प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा और संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निर्देश नहीं किया जाएगा"।

[फा. सं. जेड-11013/109/2014-आईए-II(एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :--

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 ;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013 ;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014; और
12. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014 ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

S.O. 811(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after dispensing with the requirement of notice in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

In the said notification, paragraph 11 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof, and after sub-paragraph (1) as so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(2) Where an allocation of coal block is cancelled in any legal proceeding, or by the Government in accordance with law, the environmental clearance granted in respect of such coal block may be transferred, subject to the same validity period as was initially granted, to any legal person to whom such block is subsequently allocated, and in such case, obtaining of "no objection" from either the holder of environment clearance or from the regulatory authority concerned shall not be necessary and no reference shall be made to the Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee concerned."

[F. No. Z-11013/109/2014-IA-II(M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
7. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014;
9. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
10. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014;
11. S.O. 2601(E), dated the 7th October, 2014; and
12. S.O. 3252(E). dated the 22nd December, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.